राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— सुनील कुमार चौहान, **आर.ए.एस.**

राजस्व वाद संख्या — 50/2017
जीसीएमएस नम्बर — 2017/00092

मान सिंह पुत्र स्व0 उदमीराम उम्र 54 साल जाति जाट निवासी मुरादपुर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0

.... वादी

बनाम

1. सुशिल कुमार पुत्र स्व0 हरचंद उम्र 35 साल
2. अनिल कुमार पुत्र स्व0 हरचंद उम्र 33 साल
3. धर्मवीर पुत्र स्व0 हरचंद उम्र 30 साल
4. श्रीमती मायाकौर पत्नी हरचंद उम्र 55 साल
5. श्रीमती संतोष पत्नी रतन सिंह उम्र 50 साल
6. सुबेसिंह पुत्र स्व0 रतन सिंह उम्र 30 साल
7. संजय पुत्र स्व0 रतन सिंह उम्र 28 साल जाति जाट निवासी मुरादपुर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
8. चन्द्रकला पुत्री रतन सिंह पत्नी सुरेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी मुरादपुर हाल आबाद ढाणा तन सिंघाना त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
9. रामस्वरुप पुत्र उदमीराम उम्र 51 साल
10. छैलू पुत्र उदमीराम उम्र 50 साल
11. श्रीमती भवानी पत्नी स्व0 रामप्रताप उम्र 55 साल
12. राजेन्द्र पुत्र स्व0 रामप्रताप उम्र 32 साल
13. जयसिंह पुत्र स्व0 रामप्रताप उम्र 30 साल
14. सुरेन्द्र पुत्र स्व0 होशियार सिंह उम्र 25 साल
15. मुनाराम पुत्र स्व0 होशियार सिंह उम्र 23 साल
16. श्रीमती बिरमा देवी पत्नी स्व0 होशियार सिंह उम्र 45 साल
17. रामजस पुत्र चुनाराम उम्र 60 साल
18. लीलाराम पुत्र चुनाराम उम्र 58 साल
19. प्रेमवीर पुत्र चुनाराम उम्र 56 साल
20. सत्यवीर पुत्र चुनाराम उम्र 53 साल
21. बिमला पत्नी दुलीचंद
22. धर्मवीर पुत्र दुलीचंद
23. श्रीमती सरीता देवी पत्नी स्व0 रणवीर पुत्र दुलीचंद
24. वर्षा पुत्री रणवीर नाबालीक जरिये माता श्रीमती सरिता देवी नवीरा दुलीचंद
25. पलक पुत्री रणवीर नाबालीक जरिये माता श्रीमती सरिता देवी नवीरा दुलीचंद
26. राजवन्ती पुत्री रणवीर नाबालीक जरिये माता श्रीमती सरिता देवी नवीरा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 16:44:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

27.अनिकेत पुत्र रणवीर नाबालीक जरिये माता श्रीमती सरिता देवी नवीरा दुलीचंद
28.होशियार सिंह पुत्र स्व0 नन्दलाल जाति जाट निवासी मुरादपुर त0 बुहाना
29.प्रताप सिंह पुत्र नन्दलाल
30.सुरता पुत्र जेसराम समस्त जाति जाट निवासी मुरादपुर त0 बुहाना
31.आर0 जी0 बी0 शाखा सिंघाना जरिये मैनेजर आर0 जी0 बी0 शाखा सिंघाना त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0
32.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना त0 बुहाना

.... प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

–: निर्णय :–

दिनांक :.........

वादी की और से वाद पत्र निम्न प्रकार पेश है –

1. यह कि वाके ग्राम मुरादपुर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के हाल खाता सं0 113 के ख0 न0 154 रकबा 0.70 है0 ख0 न0 341 रकबा 4.45 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 5.15 है0 के वादी व प्रति0 सं0 1 ल0 10 खातेदार दर्ज रिकार्ड है जिसमें वादी का 1/5 भाग प्रति0 सं0 1 ल0 4 का संयुक्त रुप से 1/5 भाग प्रति सं0 5 ल0 8 का संयुक्त रुप से 1/5 भाग प्रति सं0 9 का 1/5 भाग व प्रति0 सं0 10 का 1/5 भाग दर्ज रिकार्ड है वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने दर्ज भाग पर बाहमी बंटवारे अनुसार काबिज काश्त है लेकिन उक्त भूमि का खाता संयुक्त है वादी व प्रति सं0 1 ल0 10 के हिस्से में बाहमी बंटवारे अनुसार खदी को ख0 न0 341 रकबा 4.41 है0 भूमि आई हुई है जिस पर वादी तथा प्रति0 सं0 1 ल0 10 बाहमी बंटवारा कर काबिज कास्त हैवादी ने अपने हिस्से में आई भूमि पर अपने आवास मकान बनाकर आबाद है।
2. यह कि वाके ग्राम मुरादपुर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 के हाल खाता सं0 68 के ख0 न0 588 रकबा 0.54 है0 ख0 न0 589 रकबा 0.70 है0 ख0 न0 592 रकबा 0.66 है0 ख0 न0 593 रकबा 0.54 है0 ख0 न0 595 रकबा 0.60 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.04 है0 में वादी का हिस्सा 1/25 प्रति0 सं0 1 ल0 4 के हकपूर्वाधिकारी स्व0 हरचंद के नाम 1/25 हिस्सा प्रति0 सं0 5 ल0 8 के हकपूर्वाधिकारी रतन सिंह का हिस्सा 1/25 भाग प्रति0 सं0 9 व 10 प्रत्येक का 1/25 भाग दर्ज रिकार्ड है स्व0 हरचंद का 20 वर्ष पूर्व तथा स्व0 रतन सिंह का 10 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान क्रमशः प्रति0 सं0 1 ल0 4 व 5 ल0 8 है। प्रति0 सं0 11 ल0 13 का 1/15 भाग प्रति सं0 14 ल0 18 के हकपूर्वाधिकारी स्व0 होशियार सिंह का 1/15 भाग तथा स्व0 बनवारी पुत्र रुपाराम का 1/15 भाग दर्ज रिकार्ड है स्व0 बनवारी का 90 वर्ष पुर्व आई हुई है उक्त भूमि को वादी व प्रतिवादी सं0 1 ल0 10 ने आपसी बाहमी बंटवारा करके काबिज कास्त है और वादी ने अपने हिस्से में आई भूमि में अपने आवासीय मकान ब[illegible] अविवाहित फौत हो जाने के कारण उसका हिस्सा 1/15 भाग उसके [illegible] सं0 11 ल0 13 व प्रति0 सं0 14 ल0 16 होने से स्व0 ब[illegible] उनको मिल गया। जिस पर वे काबिज कास्त है [illegible] प्रति0 [illegible] ल0 20 का हिस्सा संयुक्त रुप

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 15:44:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

से 2 / 5 भाग व प्रति सं0 21 ल0 29 व उसकी माता माली देवी का हिस्सा संयुक्त रुप से 1 / 5 भाग दर्ज रिकार्ड है माली देवी की मृत्यु के कारण उसका हिस्सा प्रति0 सं0 21 ल0 29 की माता होने से प्रति सं0 21 ल0 29 को मिल गया जिस पर वे काबिज कास्त है।

3. यह कि वाके ग्राम मुरादपुर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के हाल खाता सं0 175 के ख0 न0 137 रकबा 2.71 है0 ख0 न0 328 रकबा 1.00 है0 ख0 न0 504 रकबा 0.61 है0 ख0 न0 509 रकबा 0.68 है0 ख0 न0 714 / 509 रकबा 0.18 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 5.18 है0 में वादी का हिस्सा 1 / 25 प्रति0 सं0 1 ल0 4 का हिस्सा 1 / 25 प्रति0 सं0 5 ल0 8 का हिस्सा 1 / 25 प्रति0 सं0 9 व 10 का प्रत्येक का हिस्सा 1 / 25,1 / 25 दर्ज रिकार्ड है । इसी प्रकार प्रति0 सं0 17 का हिस्सा 2 / 5 प्रति सं0 21 ल0 26 का हिस्सा 1 / 5 व प्रति0 सं0 27 सुरता राम का हिस्सा 1 / 5 दर्ज रिकार्ड है लेकिन उपरोक्त भूमि का खाता संयुक्त है।

4. यह कि वादी ग्राम मुरादपुर स्थित भूमि हाल ख0 न0 341 में अपने हिस्से में आई भूमि में मकानात बनाकर आबाद है और प्रतिवादीगण वादी को अपने मकानात में आने जाने से बाधा पहुचाते है जिनका उन्हे कोई विधिक अधिकार नही है इसलीय वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का विधिक अधिकार नही है।

5. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं0 1 ल0 3 में वर्णित भूमि का खाता सामलाती रहने से वादी को अपने खेत में बने आवासीय मकानात में उंट,गाडी,टैक्टर व अन्य गाडी लाने व ले जाने में बाधा आती है इसलिय वादी ने सभी प्रतिवादीगण को कई बार खाता विभाजन करवाने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे। और आज से 15 दिन पूर्व खाता विभाजन करवाने से इंकार कर दिया और वादी को धमकी दी कि आपको बापके मकान तक जाने का रास्ता भी नही देंगे इसलीय वादी को यह वाद बाबत खाता विभाजन व रिहायसी मकानात तक रास्ता घोषित करवाने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ है।

6. यह कि आधार विवाद वाद पत्र के खण्ड सं0 1 ल0 3 में वर्णित भूमि संयुक्त खाते में रहने से आये दिन होने वाली बाधा व प्रतिवादीगण द्वारा 15 दिन पूर्व खाता विभाजन करवाने व प्रति0 सं0 1 ल0 10 द्वारा वादी को आवासीय भूमि में बने रिहायसी भूमि में बने रिहायसी मकानात में आवागमन हेतु रास्ता देने से इंकार करने पर पैदा हुआ है जो सावधी पेश है।

7. यह कि रिहायस पक्षकारान व वाद वर्णित भूमि ग्राम मुरादपुर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 में स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में है।

8. यह कि वाद पत्र खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणात्मक रास्ता निर्धारित न्यायालय शुल्क 3 रुपये कोर्ट फीस पर पेश है।

9. यह कि प्रतिवादी सं0 32 भू स्वामी है तथा प्रति0 सं0 31 से प्रतिवादी सुरताराम ने अपना हिस्सा बैक में रहन किया हुआ है इसलीये उन्हे आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

वादी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि –

(क) कि वाद पत्र के खण्ड सं0 1 में वर्णित भूमि जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के खाता सं0 113 के ख0 न0 154 रकबा 0.70 है0 ख0 [illegible] रकबा 4.45 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 5.15 है0 में वादी के रिकार्ड में दर्ज हिस्से [illegible] भाग का खाता विभाजन कर वादी का लगान भी अलहेदा कायम किया जावे [illegible] इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की कृपा करें। व वादी [illegible] रकबा 4.41 है0 में वादी के हिस्से में बाहमी बंटवारे में आये हिस्से [illegible] रिहायसी [illegible]नात तक 12 फूट खैडा रास्ता वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 15:44:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनू (राज.)

का रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार अमल दरामद किये जाने की कृपा करें।

(ख) वाके ग्राम मुरादपुर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के हाल खाता सं0 68 के ख0 न0 558 रकबा 0.54 है0 ख0 न0 589 रकबा 0.70 है0 ख0 न0 592 रकबा 0.66 है0 ख0 न0 593 रकबा 0.54 है0 ख0 न0 595 रकबा 0.60 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.04 है0 में वादी के 1/25 हिस्से का खाता अलहैदा कायम किया जाकर खाता विभाजन के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर कब्जा वादी का करवाये जाने की कृपा करें। तथा वाके ग्राम मुरादपुर त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के हाल ख0 न0 175 के ख0 न0 137 रकबा 2.71 है0 ख0 न0 328 रकबा 1.00 है0 ख0 न0 504 रकबा 0.61 है0 ख0 न0 509 रकबा 0.68 है0 ख0 न0 714/509 रकबा 0.18 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 5.18 है0 में वादी का हिस्सा 1/25 भाग का खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर कब्जा वादी का करवाये जाने की कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई । प्रतिवादी सं0 17 से 20 ने जबाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया । इनकी ओर से श्री गजेन्द्रसिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण की बाबजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी सं0 17 ल0 20 सत्यवीर उर्फ सुखवीर की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम निम्न प्रकार पेश है :–

1. यह कि वाद पत्र का खण्ड न0 1 स्वीकार है।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड न0 2 में ग्राम मुरादपुर स्थित भूमि हाल खाता सं0 68 के कुल किता 5 कुल रकबा 3.04 है0 में वादी व प्रतिवादी सं0 1 ल0 10 का हिस्सा 1/5 भाग होना स्वीकार है व शेष प्रतिवादी सं0 11 ल0 13 का हिसाब 1/15 भाग व प्रतिवादी सं0 17 ल0 20 का हिसाब 2/5 भाग दर्ज रिकार्ड होना स्वीकार है। लेकिन उक्त खातेदारी में प्रति0 सं0 18 का नाम लीलाराम व प्रतिवादी प्रतिवादी सं0 20 का नाम सत्यवीर होना अस्वीकार है वास्तव में प्रतिवादी सं0 18 नाम लीलाधर व प्रतिवादी सं0 20 सत्यवीर की बजाय सुखवीर है जो उनके सभी रिकार्डस में दर्ज है जिसे दुरुस्त करवाने के अधिकारी है शेष सं0 खाता विभाजन करवाना चाहते है तो प्रति0 सं0 18 व 20 अपने भाईयों रामभज व प्रेमवीर का हिस्सा भी दर्ज रिकार्ड है जिसका वे 2/5 भाग दर्ज रिकार्ड का अपना भी खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है जिसके लिये प्रति0 सं0 18 व 20 अपना काउन्टर क्लेम अलग से प्रस्तुत करेंगें।
3. यह कि वाद पत्र के खण्ड सं0 3 में वादी व प्रतिवादी सं0 1 ल0 10 का हिस्सा 1/5 भाग प्रति0 सं0 17 ल0 20 का हिस्सा 2/5 भाग व शेष स्वीकार है लेकिन प्रति0 सं0 18 व 20 का नाम क्रमशः लीलाधर व सुखवीर दर्ज किया जाना व इसी अनुसार उनका नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है जिसके लिये प्रतिवादी सं0 18 व प्रति0 सं0 20 अलग से काउन्टर क्लेम पेश करेगें।
4. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं0 4 का खण्ड न0 4 में यह कथन कि वादी ने वाद वर्णित भूमि के हाल ख0 न0 341 में अपने रिहायसी मकान बना रखें है स्वीकार है शेष वादी का प्रतिवादीगण सं0 [illegible] निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नही है।
5. यह कि वाद पत्र के खण्ड सं0 5 में [illegible] के अभाव में अस्वीकार है वाद वर्णित भूमि से सम्बंधित सभी विवाद वादी व प्रतिवादी सं0 1 ल0 10 के मध्य है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 16:44:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

प्रतिवादी सं0 17 ल0 20 का वादी से कोई विवाद नही है। वादी यदि वाद वर्णित भूमि में अपने हिस्से का खाता विभाजन करवाना चाहे तो प्रतिवादी सं0 13 ल0 20 को कोई एतराज नही है प्रति0 सं0 18 व प्रति सं0 20 अपने भाईयों के साथ अपना खाता विभाजन करवाना चाहते है तथा साथ ही उक्त वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं0 18 का नाम लीलाराम पुत्र चुनाराम व प्रतिवादी सं0 20 सत्यवीर के बजाय क्रमशः लीलाधर व सुखवीर करवाना चाहते है जिसके लिए प्रतिवादी सं0 18 व प्रतिवादी सं0 20 कानूनी रुप से अधिकारी है।

6. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं0 6 स्वीकार है।
7. यह कि वाद पत्र का खण्ड सं0 7 कानूनी है अतः उत्तर दिया जाना आवश्यक नही है।
8. यह कि वादी का अनुतोष दावा स्वीकार है व प्रतिवादी उपरोक्त वर्णित भूमि से अपने हिस्से का खाता विभाजन करवाने तथा प्रतिवादी सं0 18 का नाम लीलाराम के बजाय लीलाधर करवाने तथा प्रतिवादी सं0 20 का नाम सतवीर की बजाय सुखवीर दुरुस्त करवाने हेतु अपना काउन्टर क्लेम पृथक से कर रहे है।

अतः प्रतिवादी सं0 18 व प्रतिवादी सं0 20 की और से जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी सं0 18 व 20 को कोई एतराज नही है व साथ ही प्रतिवादी सं0 18 व 20 तथा प्रतिवादी सं0 17 व 19 का भी खाता विभाजन कर प्रतिवादी सं0 18 का नाम लीलाराम के बजाय लीलाधर तथा प्रतिवादी सं0 20 का नाम सत्यवीर की बजाय सुखवीर किये जाने की कृपा करें।

काउन्टर क्लेम

1 .यह कि ग्राम मुरादपुर त0 बुहाना स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के हाल खाता सं0 68 के हाल ख0 न0 588 रकबा 0.54 है0 ख0 न0 589 रकबा 0.70 है0 ख0 न0 592 रकबा 0.66 है0 ख0 न0 593 रकबा 0.54 है0 ख0 न0 595 रकबा 0.60 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.04 है0 में प्रतिवादी सं0 17 लगायत 20 का 1/5 भाग दर्ज रिकार्ड है व शेष हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ल0 16 व प्रति0 सं0 21 ल0 30 का हिस्सा दर्ज रिकार्ड है सभी पक्षकार अपने अपने हिस्से में आई भूमि का बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने हिस्सा पर शांतीपूर्वक काबिज कास्त है। लेकिन उक्त भूमि का खाता अब भी संयुक्त होने से आये दिन सीमा विवाद होता रहता है इसलीये प्रतिवादी सं0 18 व 20 अपने भाईयों प्रतिवादी सं0 17 व 19 के साथ खाता विभाजन करवाना चाहते है। तथा चुंकी प्रति0 सं0 18 व प्रति0 सं0 20 जो भारतीये सेना में सेवारत है जहा सेना रिकार्ड व उसकी पढाई आदि के सभी रिकार्ड उसके पहचान पत्र,राशनकार्डआदि तथा प्रतिवादीगण के बच्चों की पढाई के सभी दस्तावेजात मे भी प्रतिवादीगण में लीलाधर व प्रतिवादी सं0 20 का नाम सुखवीर पुत्र चुनाराम दर्ज रिकार्ड है जिसे प्रतिवादी सं0 18 प्रतिवादी सं0 20 दुरुस्त करवाने के अधिकारी है।

2. यह कि ग्राम मुरादपुर त0 बुहाना स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के हाल खाता सं0 175 के हाल ख0 न0 137 रकबा 2.71 है0 ख0 न0 328 रकबा 1.00 है0 ख0 न0 504 रकबा 0.61 है0 ख0 न0 509 रकबा 0.68 है0 ख0 न0 714/509 रकबा 0.18 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.18 है0 में प्रति0 सं0 17 ल0 20 का हिस्सा 2/5 भाग दर्ज रिकार्ड है व शेष हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ल0 10 व प्रतिवादी सं0 21 ल0 30 के नाम दर्ज रिकार्ड है मौके पर सभी [illegible] अपने अपने हिस्से भाई बंटवारे के अनुसार आई भूमि पर काबिज [illegible] है लेकिन [illegible] का खाता सामलाती रहने से वादी व प्रतिवादीगण को उक्त [illegible] भूमि पर [illegible] करने व उक्त भूमि का विकास करने में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पडता है इसलीये प्रतिवादी सं0 18

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 15:44:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

व 20 तथा उसके भाई प्रतिवादी सं0 18 व 20 तथा उसके भाई प्रति सं0 17 व 19 का हिस्सा का खाता विभाजन करवाना चाहते है तथा इसके साथ ही प्रतिवादीगण सं0 18 का नाम लीलाराम की बजाय लीलाधर तथा प्रतिवादी सं0 20 का नाम सतवीर की जगह सुखवीर दर्ज करवाना चाहते है कि प्रतिवादी सं0 18 व प्रति0 सं0 20 के नाम उसकी शैक्षणिक ,भारतीय सेना के रिकार्डस तथा उनके बच्चों के रिकार्डस मेंभी प्रतिवादीगण का नाम कमशः लीलाधर व प्रतिवादी सं0 20 का नाम सुखवीर दर्ज होने से वर्तमान रिकार्ड के अनुसार दर्ज रहने से भविष्य में उनके व उनके बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पडेगा जिससे बचने हेतु प्रति0 सं0 18 व 20 अपना नाम लीलाराम की बजाय लीलाधर तथा सतवीर पुत्र चुनाराम के नाम दुरुस्त करवाने के अधिकारी है जिसके लिये प्रतिवादीगण अपना काउन्टर क्लेम पेश करते है।

अतः प्रतिवादी सं0 18 व प्रतिवादी सं0 20 की और से काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि –

(अ) कि वादपत्र का खण्ड सं0 2 व 3 व काउन्टर क्लेम की मद सं0 1 व 2 में वर्णित भूमि जमाबंदी संवत 2072 से 2075 स्थित ग्राम मुरादपुर में प्रतिवाद सं0 17 ल0 20 के 2/5 हिस्सा का खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ब) कि वाद वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं0 18 का नाम लीलाराम के बजाय लीलाधर तथा प्रति0 सं0 20 का नाम सतवीर के बजाय सुखवीर दर्ज करने की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–75, नकल नक्शा पेश किए गए।

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 19.07.2018 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 12.09.2019 को प्राप्त हुई ।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वादी की ओर एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि न्यायालय का प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.07.20118 में निर्णण व डिक्री में वाके ग्राम मुरादपुर स्थित खसरा नम्बर 299, 301, 307, 308, 311 का खाता विभाजन के आदेश हुये है किन्तु वादी द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बरो से सम्बन्धित कोई अनुतोष नही चाहा है। न्यायालय द्वारा सहवन से अंकित किया गया है। तथा तहसीलदार बुहाना द्वारा भी अपने विभाजन प्रस्ताव में इनको शामिल नही किया गया है। अतः इसको हटाते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जावे। प्रार्थना पत्र पर वादी को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः अंतिम निर्णय व डिक्री में खसरा नम्बर 299, 301, 307, 308, 311 को हटाया (Delete) जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है। दावा खाता विभाजन का है। खाता विभाजन खातेदार का काश्तकारी अधिकार है। अतः न्यायालय वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.09.2019 के डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं

–आदेश–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 16:44:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय वाद वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादी सं0 18, 19, 35 खाता व लगान विभाजन को डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम मुरादपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 154, 341 किता 2 कुल रकबा 5.15 है. खसरा नम्बर 588, 589, 592, 593, 595 किता 5

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

कुल रकबा 3.04 है., खसरा नम्बर 137, 328, 504, 509, 714/509 किता 5 कुल रकबा 5.18 है0, भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत ब–3" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श " ब–1 लगायत ब–3" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श " ब–1 लगायत ब–3" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक **20-12-2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 15:44:01 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारी:– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 50/2017
निर्णय दिनांक :– 20.12.2021

मानसिंह **बनाम** सुशील कुमार आदि

दावा – घोषणात्मक,स्थाई निषेधाज्ञा एंव खाता विभाजन

वादीगण की ओर से **श्री महावीर चौधरी एडवोकेट** की उपस्थिति में व प्रतिवादी सं0 17 से 20 की ओर से **श्री गजेन्द्रसिंह एडवोकेट** व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मे इस वाद में आज तारीख **20.12.2021.** को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण एवं प्रतिदावा प्रतिवादी सं0 18, 19, 35 खाता व लगान विभाजन को डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम मुरादपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 154, 341 किता 2 कुल रकबा 5.15 है. , खसरा नम्बर 588, 589, 592, 593, 595 किता 5 कुल रकबा 3.04 है., खसरा नम्बर 137, 328, 504, 509, 714/509 किता 5 कुल रकबा 5.18 है0, भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब–1 लगायत ब–3" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श " ब–1 लगायत ब–3" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '"अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श " ब–1 लगायत ब–3" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 20-12-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 15:44:01 IST
Reason: SelfAttested